कार्यालय, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0
संख्या–871/02/डी0आर0/एस–09/2024–25
प्रयागराजः दिनांक 01 दिसम्बर, 2025

विज्ञप्ति

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग के विज्ञापन संख्या–डी–3/ई–1/2023, दिनांक 14–06–2023 के अन्तर्गत विज्ञापित **प्रवक्ता, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय (स्क्रीनिंग) परीक्षा–2023** से संबंधित 02 विषयों यथा– शल्य तंत्र एवं काय चिकित्सा की परीक्षा निम्न तिथियों में लखनऊ जनपद में आयोजित की जाएगी :–

क्र0सं0	विषय	परीक्षा तिथि	समय
1	शल्य तंत्र	10.12.2025 बुधवार	पूर्वाह्न 09:30 बजे से 11:30 तक
2	कायचिकित्सा	11.12.2025 गुरुवार	पूर्वाह्न 09:30 बजे से 11:30 तक

2– प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के **प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध हैं।** अभ्यर्थी अपने **ओ0टी0आर0 नम्बर** के द्वारा प्रवेश–पत्र तथा अनुदेश डाउनलोड कर, प्रवेश–पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर नियत तिथि एवं समय पर दो फोटो एवं आई0डी0प्रूफ की मूल एवं छायाप्रति लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। **अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 01 घण्टा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश बन्द कर दिया जाएगा।**

3– **उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–8, सन् 2024) दिनांक 06 अगस्त, 2024** को प्रकाशित किया गया है। उक्त अधिनियम में प्राविधानित है कि "परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्नपत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।"

(हर्ष देव पाण्डेय)
परीक्षा नियंत्रक।